

युजार्स
जबलपुर लेटर

राज्यपाल के उप सचिव, राजभवन, भोपाल 462052
क्र. एफ-13-7/रा.स./यू.ए.1/05/2257
प्रति,

दिनांक 29 दिसम्बर, 2018

कुलपति,
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)

विषय - कार्यपरिषद् में संकायाध्यक्ष श्रेणी से नाम निर्देशन ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 23 की उपधारा (1) के खण्ड (दो) के प्रावधानान्तर्गत कुलाधिपतिजी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा निम्नांकित संकायाध्यक्षों को संकायाध्यक्ष श्रेणी से विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् में सदस्य नामनिर्देशित किया जाता है :-

1. प्रो० शैलेश चौबे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय
2. डॉ० आर.के. आचार्य, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय
3. प्रो० भरत कुमार तिवारी, संकायाध्यक्ष, कला संकाय
4. प्रो० रविन्द्र कुमार यादव, संकायाध्यक्ष, शिक्षा संकाय

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर के आदेशानुसार
(कंप्यूटर संपत्त)
राज्यपाल के उप सचिव
मध्यप्रदेश

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ० क्रमांक/अका./2019/3551/अ
प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

जबलपुर, दिनांक 11/1/19

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् के समस्त सम्माननीय सदस्यगण ।
2. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, म.प्र. भोपाल ।
3. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल ।
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन भोपाल ।
5. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
6. कुलपति जी के सचिव/कुलसचिव जी के निज सहायक, रा०दु०वि०वि०, जबलपुर ।
7. स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के समस्त सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में इस अधिसूचना को आगामी अंक में समाचार के रूप में प्रकाशित करें ।
8. विश्वविद्यालय नोटिस बोर्ड ।
9. प्रभारी कम्प्यूटर सॉफ्टर से अनुरोध है कि इस अधिसूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें ।

प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर ।